न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 06 / 2021(2021 / 00074)

अनवान : –

1. जयसिंह पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
2. राजेशकुमार पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र खेमचन्द जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
2. सावित्री पुत्री खेमचन्द पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी गढ़ीछानी हॉल आबाद निनाण तहसील भादरा।
3. जयवीर पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
4. सुरस्ती पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
5. शान्ति पत्नी बुधराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
6. सुभाषचन्द्र पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
7. चन्द्रपाल पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
8. कप्तानसिंह पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सुभाषचन्द्र शर्मा **प्रार्थीगण**
श्री विनोद पूनियां **अप्रार्थीगण**

आदेश दिनांक : 28/10/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 जेएसएल के खाता सं 289 / 156 के मु0न0 170 के किला न0 11, 12, मु0 न0 171 के किला न0 4 ता 9, 12 ता 15, 17 ता 19 इस प्रकार कुल 15 किता की 3.7950 हैक्टेयर मुश्तर्का खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 की संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्राथीगण व अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 के चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम चक 5 जेएसएल के खाता संख्या 105 / 96 के मुरब्बा न0 171 के किला न0 21 ता 23, मुरब्बा न0 172 के किला नम्बर 25, मु0 न0 178 के किला न0 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22 ता 24 इस प्रकार 3.7950 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़),

यह कि उपर वर्णित दोनों खातेदारी भूमि एक–दूसरे के चिपते हुए स्थित है। जिसमें सदामत से मु0 न0 172 के दक्षिणी तरफ सींव डोल के चिपते हुए पश्चिम से पूर्व व उसके पश्चात इसी मु0 न0 के पूर्वी तरफ दक्षिण से उत्तरी तरफ किला न0 16, 15, 6, 5 में रास्ता स्वीकृत व चालू है। प्रार्थीगण सदामत से इसी रास्ता से होकर मु0 न0 171 के किला न0 21 के उत्तरी तरफ एक बिस्वा यानि 8–1/4 फीट चौड़ाई में पश्चिम से पूर्वी की ओर रास्ता से आवागमन करते आ रहे है। इसके अलावा प्रार्थीगण का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 9, 10, 11 को वकील प्रार्थी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उपर वर्णित दोनों खातेदारी भूमि एक–दूसरे के चिपते हुए स्थित है। जिसमें सदामत से मु0 न0 172 के दक्षिणी तरफ सींव डोल के चिपते हुए पश्चिम से पूर्व व उसके पश्चात इसी मु0 न0 के पूर्वी तरफ दक्षिण से उत्तरी तरफ किला न0 16, 15, 6, 5 में रास्ता स्वीकृत व चालू है। प्रार्थीगण सदामत से इसी रास्ता से होकर मु0 न0 171 के किला न0 21 के उत्तरी तरफ एक बिस्वा यानि 8–1/4 फीट चौड़ाई में पश्चिम से पूर्वी की ओर रास्ता से आवागमन करते आ रहे है। इसके अलावा प्रार्थीगण का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 रोही मौजा चक 5 जेएसएल के मु0 न0 171 के किला न0 22 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3, 4 के पिता स्वर्गीय अमरसिंह की खातेदारी चक 5 जेएसएल में मुरब्बा नम्बर 171 के किला नम्बर 21 में उत्तरी तरफ पश्चिम से पूर्वी की ओर आवागमन के लिए 8–1/4 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28-10-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़